KNOWLEDGEABLE RESEARCH (KR)

ISSN: 2583-6633 | CODEN: KRABAU

International Open-Access Peer-Reviewed Refereed Multidisciplinary Journal

https://knowledgeableresearch.com

Vol. 5, Issue 06,2026

Received: 12/05/2026 | Accepted: 26/06/2026 | Published: 30/06/2026

राजनीतिक सन्धियां: एक विश्लेषण (वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में)

ममता चौधरी*

(शोधार्थिनी-संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग) लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

शोध सार-

*प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र प्रणेता कामन्दक ने नीतिसार नामक एक ऐसे ग्रन्थ की रचना किया जिसका कौटिल्य अर्थशास्त्र के अन्तर सर्वश्रेष्ठ स्थान है। नीतिसार को 500 ई गुप्तकाल या 600 से 700 ई तक माना जा सकता है ,इन्होंने कौटिल्य को अपना गुरु स्वीकार करते हुएअपने ग्रन्थ में मङ्गलाचरण आदि के द्वारा पद्यात्मक श्लोक से उनकी महत्ता का परिचय देते हुए अर्थशास्त्र के ही मूल स्रोतों से इसकी रूपरेखा तैयार की है तथा उसे संक्षिप्तीकरण करते हुए कुछ अपने विचारों को भी श्लोक रूप में पिरोया है। वस्तुत: नीतिसार एक संस्कृत भाषामें रचित राजनीतिक ग्रन्थ है परन्तु इसके अतिरिक्त राजनीति शास्त्र में भी इनके द्वारा रचित सन्धियों के प्रकार, सप्ताङ्ग सिद्धान्त, राजा की प्रकृति आदि अनेक बिन्दु पाई जाती है।अर्थशास्त्रप्रणेता कौटिल्यानुसार यदि कोई राजा अपने को शत्रु से निर्बल माने तो सन्धि करना उचित होता है । कामन्दक ने सन्धियों विशेषतया सूक्ष्मता से रेखाङ्कित करते हुए 16 प्रकार की सन्धियों की सूची सङ्लग्न की है जो कि लगभग तत्कालीन शुक्र, कौटिल्य आदि द्वारा भी मान्य है तथा ऋषि याज्ञवल्क्य ने राजनैतिक हितों हेतु सन्धि की विशेषता बताया है परन्तु इसके भेदों को उद्धृत नहीं किया है। नीतिसार के 19 सर्गों के अंतर्गत 9वें सर्ग में जिसका नाम **"सन्धि विकल्पम्** "है उसके अन्तर्गत सन्धि का वर्णन विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है उसी के आधार पर सन्धि पर चर्चा की जा रही है जो की निम्नवत् है-*

बीज बिन्दु- कामन्दकीय नीतिसार

***Corresponding Author:**

ममता चौधरी

Email: mamtasingh1134@gmail.com

सन्धि का तात्पर्य-दो या दो से अधिक राज्यों, राजाओं ,जनसमूहों या देशों के बीच किसी सम्प्रभु राज्यों या अन्तरराष्ट्रीय सङ्गठनों के बीच शान्ति ,मैत्री, युद्ध- विराम, व्यापार ,सैन्याभ्यास,आयात -निर्यात या सहयोग के लिए किया गया औपचारिक कानूनी रूप से बाध्यकारी लिखित समझौता है। या किसी काल विशेष में लागू नहीं इसकी मूल मानव के अस्तित्व से जुड़ी हुई है वैदिक काल में देवता या अग्नि को साक्षी मानकर धार्मिक शपथ के आधार पर संधि की जाती थी।

1. कौटिल्य द्वारा रचित राजनीतिक ग्रन्थ।

2. कामन्दकीय नीतिसार

, रामायण काल में राम और सुग्रीव की मित्रता भी मैत्री सन्धि ,महाभारत में स्वयम् श्री कृष्ण का युधिष्ठिर का दूत बनकर दुर्योधन की सभा में जाना भी युद्ध विराम सन्धि का ही उदाहरण , तथा मौर्य काल में कूटनीति के रूप में सन्धि का स्वरूप देखा जाता है। ऐसी एक सन्धि का रूप 1798 से 1805 में लार्ड वेलेजली द्वारा अपनाई गई जिसके अन्तर्गत सहायक सन्धि प्रणाली की रूपरेखा के द्वारा भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया,भारतीय गुलामी की बेड़ियों में बन्धते चले गए। अतः बहुतायत भारतीय इतिहास में शान्ति सन्धि, सहायक गठबन्धन और समर्पण संधि की बहुलता पाई जाती है। इन सन्धियों का उद्देश्य विवादों को सुलझाना, सुरक्षा

सुनिश्चित करना और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना होता है ।यह वैदिक, महाकाव्य काल ,मध्यकाल और आधुनिक काल से होती हुई अन्तरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था तक निरन्तर विकासमान है।

सन्धि करने की प्रक्रिया-समान्यत: सन्धि (वार्ता) दोनों पक्षों में बातचीत करके, मसौदा (समझौते की शर्तें लिखकर),दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर, सम्बन्धित सरकार या संसद द्वारा अनुमोदन स्वीकार कर लागू की जाती है परन्तु अगर वैदिककालीन या फिर उसके उपरान्त देखा जाए तो धार्मिक शपथ के आधार पर देवता अग्नि को साक्षी मानकर होती थी यही आगे चलकर रामायण काल में मित्रता, महाभारत काल में युद्ध विराम हेतु तथा मौर्य काल में कूटनीतिक नीति के रूप में प्रचलित थी।

कामन्दक ने सन्धियों की विशेषता बताते हुए राजा को उपदेशित करते हुए विभिन्न प्रकार की सन्धियों के बारे में बताया है।क्योंकि जब राजा युद्ध भूमि में नि:अस्त्र होकर या फिर शत्रुरूपी विपदाओं से घिरा हुआ हो तो उसे सन्धि का आश्रय लेना उचित होता है जैसा की कामन्दक ने बताया है।

" बलिना विगृहित: सन् नृपोऽनन्यप्रतिक्रिय:।

आपन्न: सन्धिमन्विच्छेत्कुर्वाण: कालयापनम्।[1]"

अर्थात राजा बलि शत्रु से आक्रान्त हो जाए और कोई उपाय ना सूझे तब विपदाग्रस्त हो काल व्यतीत करता हुआ सन्धि कर ले।

याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार-राजा को अपने राज्य को कण्टकविहीन करने हेतु सन्धिविग्रह ,चढ़ाई (यान)आदि गुणों का यथोचित अवलम्बन करना चाहिए-

" सन्धिं च विग्रहम् यानासनम् संश्रयम् तथा।

द्वैधीभाव गुणानेतान् यथावत्परिकल्पयेत्।।"[2]

1-कामन्दकीय नीतिसार 9.1।

2-याज्ञवल्क्यस्मृति 2.347

जैसा कि कौटिल्य के द्वारा भी कहा गया है

"प्रवृत्तचक्रेणाक्रान्तो राज्ञा बलवतावल:

सन्धिनोपनतमेत्तूर्ण कोषदण्डात्मभूमिभि:"।[1]

"अर्थात सेवा आदि के द्वारा बलवान राजा से दबाया हुआ निर्बल राजा जल्द ही धन, सेना व भूमि समर्पण करके बलवान से संधि कर ले अर्थात उसके सामने झुक जाए "

सम्ज्यायोभ्यां सन्धीयेत।[2] बराबर तथा अधिक शक्ति के साथ सन्धि कर लें।

इस क्रम में आगे बढ़ते हुए नीतिसार में16 प्रकार की सन्धियों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है- कपाल उपहारश्च संतान: सङ्गतस्तथा। उपन्यास: प्रतिकार: संयोग: पुरूषान्तर:।।

अदृष्टनर आदिष्ट आत्मामिष उपग्रह:।

परिक्रयस्तथोच्छिन्नस्तथा च परिभूषण:।।

स्कन्धोपनेय: सन्धिश्च षोडश: परिकीर्तित:।इति षोडशकं प्राहु: सन्धि सन्धिविचक्षणा ।।[3]

कपाल-उपहार-संतान-सङ्गत-उपन्यास-प्रतिकार-संयोग-पुरुषान्तर-अदृष्टनर-आदिष्ट-आत्मामिष-उपग्रह - परिक्रय,उच्छिन्न-,परिभूषण और स्कन्धोपनेय सन्धिकार्य कुशल पुरुषों ने यह 16 प्रकार की संधि कही है। उपरोक्त सन्धियो का क्रमशः परिभाषित स्वरूप निम्नवत है,-

कपाल सन्धि-(कपालसन्धिर्विज्ञेय: केवलम् समसन्धित:) अर्थात राजा का अपने बराबर वाले से मेल करने का नाम कपाल सन्धि है ।कौटिल्य के अनुसार जिसमें सम्पूर्ण धनराशि तत्क्षण अदा करनी पड़े "कपाल सन्धि"कहलाती है ।

उपहार सन्धि -(सम्प्रदानाभ्दवति य उपहार: स उच्यते)[4] इस सन्धि के द्वारा द्रव्य आदि देने के कारण उपहार सन्धि कही जाती है।

सन्तान सन्धि-(सन्तानसन्धिर्विज्ञेयो दारिकादानपूर्वक:) वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर या पुत्रीदान (कन्यादान) करने से

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

सन्तान सन्धि होती है। मुगल काल में अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों पर दृष्टिपात करें तो पाया जाता है कि आमेर में 1562 ई में राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का तत्कालीन सम्राट अकबर के साथ वैवाहिक गठबन्धन किया तथा शाहजहां एवं लाडली बेगम का विवाह भी इसी सन्धि का उदाहरण है ,यह मात्र मुगल काल की ही बात नहीं अपितु मौर्यकाल में भी चन्द्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस की पुत्री हेलना (कोनेर्लिया) से विवाह राजनीतिक नीतियों के अन्तर्गत किया।

1-अर्थशास्त्र 3/102/23 2-कामन्दकीय नीतिसार 9.(2,3,4,5)

हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार ने अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु कौशल नरेश की बहन महाकौशला, लिच्छवी गणराज्य की पुत्री चेलन्ना और मद्र राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। पाश्चात्य इतिहास में भी इंग्लैंड और पुर्तगाल के मध्य विंडसर की सन्धि के माध्यम से 1386 में पुर्तगाल के राजा जॉन प्रथम एवं इंग्लैंड की राजकुमारी फिलिप्पा के विवाह हुआ।

इतिहास में राजनीतिक गठबन्धन एवम् राज्य सुरक्षा एवं विस्तार हेतु वैवाहिक संबंध स्थापित करना अर्थात शादी करना आम बात थी, इसके माध्यम से विरोधी शत्रु भी मित्र बन जाते थे एवं शासक अपने पथ के कण्टक को हटाते हुए राज्य विस्तार करते थें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संतान सन्धि परिष्कृत होकर शान्ति समझौते एवं सुरक्षा हेतु राजनीतिक दलों के बीच वैवाहिक संबंधों की स्थापना हुई जो की मात्र एक नीति ग्रन्थ तक सीमित नहीं अपितु लोक में प्रायोगिक रही है और वर्तमान में भी देखा जाता है।

सङ्गत सन्धि (-सद्भिःसङ्गतसन्धिस्तु मैत्रीपूर्व उदाहृत:)[1]स्वयं से श्रेष्ठ राजा के साथ मित्रता करने से सङ्गत संधि होती है। जब तक जिएंगे तब तक तुल्य अर्थ के प्रयोजन वाली संपत्ति विपत्ति में जो किसी कारण से भी नहीं टूटेगी यह संगत सन्धि अत्युत्तम होने से सुवर्ण के समान है और दूसरे संधि के तुलना में इसे उत्तम एवं कांचन सन्धि भी कहा गया है।

ऐसे अनेक ऐतिहासिक साक्ष्य पाए जाते हैं जिसमें एक राजा ने अपने से श्रेष्ठ एवं पराक्रमी को मित्र मानकर सन्धि स्थापित की हो ,वर्तमान समय भी एक देश दूसरे देश की जन-धन , प्राकृतिक स्रोत इत्यादि से प्रभावित होकर उसे अपने से श्रेष्ठ मानता हुआ उससे मित्रता स्थापित कर एक संधि करता है तथा इसके माध्यम सेवा आयात- निर्यात करने में लाभान्वित होता है तथा विपरीत परिस्थितियों में उससे मदद भी प्राप्त करता है। इस सन्धि का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रामायण काल में श्री राम एवं सुग्रीव के मध्य देखा जाता है जिसके अंतर्गत सुग्रीव राजाराम से मित्रता स्थापित कर अपना राज्य पद वापस पाता है तथा मां सीता को ढूंढने में अपनी वानर सेवा का सहयोग देता है। दो पक्षों के मध्य मित्रता हेतु अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम एवं सुग्रीव ने अग्नि की प्रदक्षिणा कर एक दूसरे के मित्र बन गए- "ततोऽअग्निं दिप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम् ,

सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वमुपगतौ।।"[2]

तदन्तर सुग्रीव ने श्रीराम से कहा-

"त्वम् वयस्योऽसि हृद्यो मे ह्येकं दु:खं सुखं च नौ, सुग्रीवो राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहृष्टवत्।।[3]

उस समय सुग्रीव ने श्रीरामचंद्रजी से प्रसन्नतापूर्वक कहा- 'आप मेरे प्रिय मित्र हैं आज से हम दोनों का दुख- सुख एक है'।

1-नीतिसार 9.6 2/3-वाल्मीकियरामायण किष्किंधाकांड-5.15,17

उपन्यास सन्धि -(भव्यामेकार्थसंसिद्धिं समुदिश्य क्रियेत।

य: स उपन्यासकुशलैरुपन्यास: उदाहृत:।।)[1]

जो किसी श्रेष्ठ कार्य के सिद्धि के लिए सन्धि की जाती है उसको उपन्यासज्ञाताओं ने उपन्यास सन्धि कहा है।

प्रतिकार सन्धि -(मयास्योपकृतम् पूर्व ममाप्येष करिष्यति

इति य: क्रियते सन्धि:प्रतिकार: स उच्यते।।[2]

मैंने पहले इसका उपकार किया है यह भी मेरा उपकार करेगा इसके निमित्त की गई सन्धि प्रतिकार सन्धि कहलाती है। किसी के द्वारा की गई सहायता तथा परिणाम स्वरुप उससे

आवश्यकता पड़ने पर मदद की उम्मीद का भाव रखकर किया गया सहयोग प्रतिकार सन्धि के अंतर्गत आता है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सुग्रीव और राम की मित्रता भी प्रतिकार संधि का उदाहरण है क्योंकि सुग्रीव श्रीराम से देवीसीता को ढूंढने के लिए बाली से अपने राज्य वापसी एवं पत्नी की मुक्ति हेतु सशर्त मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं तत्पश्चात बाली की वध ,पत्नी एवं राज्य की वापसी के पश्चात ही अपने वानर सेना को प्रस्थान का आदेश देते हैं।[1]

संयोग सन्धि- (एकार्थो सम्यगुद्दिश्य यात्रा त्राभिगच्छत:।

स सम्हितप्रयाणस्तु सन्धि संयोग उच्चते।।)[3]

एक अर्थ का भली प्रकार से उद्देश करके जहां अच्छे प्रकार से गमन करते हुए संधि होती है वह सहितप्रयाण वाली संयोग सन्धि कहलाती है।

पुरुषांतर सन्धि -(आवयोयोधमुख्याभ्याम् मदर्थ: साध्य इत्यपि।

यस्मिन पण: प्रक्रिययते स सन्धि पुरुषान्तर:।।)[4]

हम दोनों के मुख्य योद्धाओं द्वारा हमारा प्रयोजन सिद्ध हो ऐसा प्रण किया जाता है वह पुरुषांतर सन्धि है।

1-नीतिसार 9.10

2-श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण किष्किंधाकांड

3/4-नीतिसार 9.(11,13,14)

आचार्यकौटिल्य इस विषय में लिखते हैं-

(सेनापतिकुमाराभ्यामुपस्थताव्यमित्ययम्।

पुरुषांतरसंधि:स्यान्नत्मनेत्यात्मरक्षण:।।)[1]

अर्थात् जो संधि सेनापति और राजकुमार को शत्रु की सेवा में उपस्थित करके की जाती है उसे पुरुषांतर संधि कहते हैं क्योंकि वह सेनापति और राजकुमार रूपी पुरुष विशेष को अर्पण करने पर ही होती है इसी का नाम "आत्मरक्षण संधि" भी है क्योंकि इसमें स्वयं राजा की रक्षा हो जाती है उसे शत्रु के दरबार में नहीं जाना पड़ता।

अदृष्टनर सन्धि -(त्वयैकेन दीयार्थ:सम्प्रसाध्यस्त्वसाविति।

यत्र शत्रु: पणं कुर्यात्सोऽदृष्टपुरुष: स्मृत:।।)[2]

तुम अकेले ही इस मेरे प्रयोजन को भली प्रकार से सिद्ध करो जिसमें शत्रु ऐसा प्रण करें वह अदृष्ट पुरुष या अदृष्टनर सन्धि कहलाता है।

कौटिल्य के अनुसार-एकेनान्यत्र ज्ञातव्यं स्वयं दण्डेन वेत्ययम्।अष्टपुरुष: संधिर्दण्डमुख्यात्मरक्षण:।।[3]

अर्थात् किसी दूसरे स्थान पर शत्रु के कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं अकेला ही जाऊंगा अथवा मेरी सेना ही जाएगी इस प्रकार शर्त करके जो संधि की जाती है उसे अष्टपुरुष संधि कहते हैं क्योंकि इस संधि के होने पर शत्रु की सेना में किसी पुरुष को उपस्थित नहीं होना पड़ता,इस संधि को "दंडमुख्यात्मरक्षण संधि"भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेना के मुख्य व्यक्ति और स्वयं राजा की रक्षा हो जाती है।

आदिष्ट सन्धि - (यत्र भूम्येकदेशेन पणेन रिपुवर्जित::।

सन्धीयते सन्धिविद्धिरादिष्ट: सन्धिरुच्यते।।)[4]

जहां पृथ्वी का कुछ अन्श देकर मेल किया जाता है उसे सन्धिज्ञाताओं ने आदिष्ट सन्धि कहा है।इसी सन्धि का उदाहरण महाभारत में देखा जाता है जिसमें पाण्डव श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर यह सन्धि या शान्ति वार्ता के लिए 5 ग्राम(गांव)मांगकर ही युद्ध को रोकने का प्रयास करते हैं,परंतु दुर्योधन उसे न मानकर इस सन्धि को असफल कर देता है।

1-कौटिल्य अर्थशास्त्र 1.7.3.. (25,26)

2-नीतिसार 9.15,16

3-महाभारत उद्योगपर्व पृ. सं.2258

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

आत्मामिष सन्धि -(स्वसैन्येन तु सन्धानमात्मामिष इति स्मृत:)[1]अपनी सेना से जो सन्धि की जाती है वह आत्मामिष है।

आचार्य कौटिल्य ने इसे "आमिष सन्धि"इस प्रकार से व्याख्यायित किया है-

"स्वयम् संख्यतादण्डेन दण्डस्य विभवेन वा।उपस्थातव्यमित्येष संधिरात्मामिषो मत:"।। [2]

अर्थात् विजेता जितना कहे उतनी ही सेना और अपनी शक्ति के अनुसार धन लेकर जो विजित स्वयं शत्रु के पास जाकर ही उसकी सेवा करता है, इस प्रकार की आमिष संधि कहलाती है क्योंकि यह संधि अपने आप को भोग्य रूप से उपस्थित किए जाने पर ही होती है।

उपग्रह सन्धि -(क्रियते प्राणरक्षार्थं सर्वदादुपग्रह।।[3]अपनी प्राण रक्षा के लिए सर्वस्व दान करना उपग्रह सन्धि कहलाती है।

कौटिल्य के अनुसार-

"स्कंधोपनेयो बहुधा ज्ञेय: संधिरूपग्रह:।

निरुद्धो देशकालाभ्याम् अत्यय: स्यादपग्रह:"।।[4]

अर्थात् किश्तवार थोड़ाथोड़ा धन बहुत बार में देना- हो तो उपग्रह संधि कहते हैं तथा जब दिए धन के विषय में यह नियम कर दिया जाए कि अमुक स्थान में अमुक समय में इतना धन अवश्य देना होगा तब इस अत्यय संधि कहा जाता है।

परिक्रय सन्धि –

(कोषांशेनाथ कुप्येन सर्वकोषेण वा पुन:।

शेष प्रकृतिरक्षार्थं परिक्रय उदाहृत:।।)[5]

जो कुछ कोष के अंश से या सबकोष देकर शेष प्रजा की रक्षा के लिए सन्धि की जाती है उसका नाम परिक्रय सन्धि है।

आचार्य कौटिल्य के अनुसार-"कोशदानेन शेषाणां प्रकृतीनां विमोक्षणम्। परिक्रयो भवेत्संधि: स एव च यथा सुखम्"।।[6]अर्थात बलवान शत्रु से युद्ध में गिरफ्तार किए हुए अमात्य आदि प्रकृतियों को जिस संधि में धन देकर छुड़ाया जावे उसे परिक्रय संधि कहते हैं।

उच्छिन्न सन्धि -(भुवां सारवतीनान्तु दानादुच्छिन्न उच्यते)[7]१९/९। सारवाली उपजाऊ भूमि के देने से मेल करने को उच्छिन्न -सन्धि कहते हैं।

1-5- कामन्दकीय नीतिसार -9.(16,17,19)

4/6- अर्थशास्त्र -3.7.24,28

परिभूषण सन्धि - (सर्वभूम्युत्थितफलादानेन परिभूषण:।)[1] पृथ्वी से उत्पन्न सब अन्न फलादि के देने से परिभूषण सन्धि कहलाती है।

स्कंधोपनेय सन्धि –

(परिछिन्नम् फलम् यत्र स्कन्ध: स्कन्धेन दीयते।

स्कन्धोपनेयं तं प्राहु: सन्धि सन्धिविदोजना:)।।[2]

जहां थोड़े फलादि थाली में रख कन्धे पर ले जाकर भृत्यजन देते हैं सन्धिजानने वालों ने उसको स्कन्धोपनेयं सन्धि कहा है।इन प्रकार की 16सन्धियों के अतिरिक्त कामंदक ने चार प्रकार के विशेष संधियों का भी उल्लेख किया है।

(परस्परोपकारश्च मैत्रं सम्बन्धजस्तथा।

उपहारश्च विज्ञेयाश्चत्वारस्ते च सन्धय:।।)[3]

परस्परोपकार,मैत्र,सम्बन्धजऔर उपहार हैं।यह चार सन्धि विशेष रूप से कही गई है।कामन्दक ने अंत में यह भी स्पष्ट किया है कि कोई बलि राजा,चढ़ाई करने वाला,कभी भी बिना लोभ की निमित्त नहीं होता, वह लोभ के ही वशीभूत होकर ही किसी अन्य राज्य एवं राजा पर आक्रमण करता है अतः उपहार संधि के सिवाय दूसरी कोई सन्धि है ही नहीं और सभी उपहार के ही भेद हैं।

अपितु कभी भी सन्धि करने के पूर्व हमें समक्ष उपस्थित सन्धि कर्ता का गुण- अवगुण का भी भान होना चाहिए जिससे कि सन्धि का विग्रह ना हो।

नीतिसार में 20 प्रकार के पुरुषों का लक्षण बताया गया है जो कि संधि हेतु विश्वासपात्र नहीं हो सकते जैसे- बालक, बूढ़ा, दीर्घकाल का रोगी, जाति से बाहर, डरपोक, दूसरों को भय उत्पन्न करने वाला, लोभी, लुब्धजन, विरक्त स्वभाव वाला, विषयों में अतितत्पर , अनेक चित्तों के साथ, मंत्र सम्मति करने वाला, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, दैव से हत हुआ, प्रारब्ध पर ही भरोसा करने वाला, दुर्भिक्ष व्यसन में लगा हुआ, सेना की आपत्ति से युक्त, कुदेश या दूसरे देश में स्थित, बहुत शत्रु वाला जो प्रतिज्ञा पर स्थित नहीं रहता और सत्य धर्म से रहित है। इनसे सन्धि ना करें केवल विग्रह ही करें यह विग्रह को प्राप्त होकर शीघ्र शत्रु के वश में हो जाते हैं।[4]

विश्व में घटित सामरिक गतिविधियों के तहत देखा जा रहा है कि ईरान जो की एक मुस्लिम बहुल तथा इजरायल,यहूदी धर्मावलम्बी देश जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है परन्तु इन दोनों देशों के आपसी रणनीतिक गतिविधियों के बीच भारत जो की भारी मात्रा में ईरान और इजराइल से अनेक सन्धि या समझौते के तहत तेल, मशीनरी आदि अनेक वस्तुओं का भारी मात्रा में आयातक है।

1/2/3-नीतिसार 9.19-21 4-वही-9. पृष्ठ संख्या-18

 अगर सूक्ष्मत:कहा जाए की कच्चे तेल हेतु ईरान पर निर्भर हैं क्योंकि ईरानी कच्चे तेल का भंडार भारत के आयात हेतु बजट के अंतर्गत परंतु गत वर्षो में आयात शुल्क में वृद्धि,अधिक टैक्स देकर अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा है जिससे कि भारतीय आंतरिक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। ईरान और इजराइल से भारत का जो भी संधि या समझौता द्विपक्षीय समझौते किए हैं जो कि सैन्य या रक्षा गठबन्धन नहीं है,भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है जिसके कारण भारत मध्य एशिया के दोनों देश जो की अनेक बिंदुओं पर काफी विविधता लिए हुए हैं फिर भी दोनों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संधि समझौते को स्वीकार किया है एवं बना हुआ है।

इजरायल भौगोलिक रूप से मध्य एशिया महाद्वीप में स्थित है, इस कारण भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध काफी मजबूत है, प्राचीन काल की तरह आज भी देश के मध्य आयात- निर्यात हेतु या फिर रक्षा सम्बन्धी गतिविधियों के कारण समझौते होते हैं जो की भारत और इजरायल के मध्य 1996 में हुआ समझौता 8 सितम्बर 2025 को हस्ताक्षरित विपक्षीय निवेश संधि में परिणत हुआ यह रक्षा सम्बन्धी सन्धि, तकनीकी नवाचार के लिए औद्योगिक अनुसंधान और विकास कोष तथा श्रमिक आवाजाही समझौता शामिल है जो की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देता है। 2 अरब डॉलर से अधिक की रक्षा समझौते जिम ड्रोन, रोबोटिक और द्विपक्षीय समझौते भी शामिल है। इसकी अतिरिक्त कृषि और जल सहयोग हेतु भी भारत सन्धि किया हुआ है।

भारत ईरान के मध्य को औपचारिक 1950 मार्च 15 मैत्री सन्धि (treaty of friendship) हस्ताक्षरित हुई जो कि दोनों देशों के मध्य स्थायी शान्ति और राजनीतिक संबंधों की नींव रखती है। वर्तमान में ईरान के साथ भारत दीर्घकालिक ऊर्जा ,व्यापार ,रणनीतिक सहयोग विशेषकर चाबहार बन्दरगाह इन्टरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडोर पर केंद्रित है। चाबहार बन्दरगाह भारत के लिए विकास एवं सामरिक आर्थिक निवेश है जो कि भारत को अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ईरान भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करता है तथा भारत चाय ,दवाई, कृषि उत्पाद,चावल निर्यात करता है जो की एक पारस्परिक समझौता है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में सन्धियों का जो स्वरूप था वर्तमान में भी वही है परन्तु आवश्यक वैश्विक मूल्य ,विकास एवं भौगोलिक -भिन्नताओं के कारण पहले से ज्यादा और एक दूसरे पर निर्भर कर रही हैं जो की किसी भी देश के लिए दूसरे देश से पूर्णतः आयात- निर्यात समाप्त करना असम्भव है क्योंकि किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित है इसी कारण शायद भारत तटस्थ रहेगा और चल रहे ईरान और इजरायल के मध्य युद्ध के बीच में किसी का मित्र या किसी का शत्रु नहीं अपितु समभाव रखेगा। किसी एक गुट में शामिल होने

Copyright: © The authors. This article is open access and licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

के बजाय शान्ति स्थापित करने का पक्षधर रहेगा।जिस प्रकार प्राचीन भारत में एक राजा अपने प्रजा के हित- कल्याण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश की सीमाओं के दुरुस्त एवं रक्षा सम्बन्धी हितों के लिए दूसरे राज्य के राजा या शासको के साथ किसी भी प्रकार का संधि या समझौता स्थापित करता था उसी प्रकार आज भी देखा जा रहा है कि लोकतन्त्र का सन्चालक जो कि भारत के का प्रधानमन्त्री अपनी अनेक मन्त्रालयों के माध्यम से देश के हित एवं उपयोगी निर्णय को लेते हुए जनता के आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनेक अनेक कूटनीतिक उपाय से देश का परिपालन कर रहा है जो की एक राजा का कर्तव्य है तथा प्रत्येक नागरिक का अधिकार।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

*कामन्दकीय नीतिसार। प० ज्वाला प्रसाद मिश्र(खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन1961)

* मध्यकालीन भारत का इतिहास, डॉ के.के शर्मा, उपकार प्रकाशन,An ISO9001-2000

*महाभारत ,उद्योगपर्व, भगवद्यानपर्व,(यानसंधि पर्व) श्रीमान्महर्षिवेदव्यास प्रणीत, अनुवादक-पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री पाण्डेय 'राम'गीता प्रेस गोरखपुर,तृतीय संस्करण।

*याज्ञवल्क्य स्मृति (व्यवहाराध्याय),डा० उमेशचन्द्र पाण्डेय (चौखम्बा सम्स्कृत सीरीज)1967

*श्रीमद्वाल्मीकि रामायण, प्रथम खण्ड (किष्किन्धाकाण्ड) गीता प्रेस गोरखपुर सं-2077

अन्य स्रोत-

*दैनिक जागरण (समाचार पत्र)